

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 70

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4460.41	17.39	4477.80	5209.83	45.00	5254.83	3820.74	71.00	3891.74	5701.00	52.00	5753.00
वसूलियां	-253.18	...	-253.18
प्राप्तियां
निवल	4207.23	17.39	4224.62	5209.83	45.00	5254.83	3820.74	71.00	3891.74	5701.00	52.00	5753.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	37.60	...	37.60	43.38	...	43.38	40.34	...	40.34	46.50	...	46.50
2. कार्यालय भवन	...	17.39	17.39	...	45.00	45.00	...	71.00	71.00	...	52.00	52.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	37.60	17.39	54.99	43.38	45.00	88.38	40.34	71.00	111.34	46.50	52.00	98.50
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
ग्रिड इन्टरएक्टिव अक्षय विद्युत												
3. पवन विद्युत	950.00	...	950.00	920.00	...	920.00	1026.00	...	1026.00	1299.35	...	1299.35
4. लघु पन बिजली	136.75	...	136.75	182.90	...	182.90	92.10	...	92.10	100.00	...	100.00
5. जैव विद्युत	6.83	...	6.83	25.00	...	25.00	4.68	...	4.68	75.00	...	75.00
6. सौर विद्युत	1903.74	...	1903.74	2479.90	...	2479.90	1789.49	...	1789.49	2149.65	...	2149.65
7. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूएसयूएम)	300.00	...	300.00
8. हरित ऊर्जा कॉरिडोर	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	52.61	...	52.61	300.00	...	300.00
9. बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) घटक	40.00	...	40.00	0.41	...	0.41	1.00	...	1.00
10. व्याज का भुगतान और बॉण्ड्स को जारी करने पर होने वाले व्यय	124.39	...	124.39	124.35	...	124.35	124.35	...	124.35	125.00	...	125.00
जोड़-ग्रिड इन्टरएक्टिव अक्षय विद्युत	3621.71	...	3621.71	4272.15	...	4272.15	3089.64	...	3089.64	4350.00	...	4350.00
ऑफ-ग्रिड/वितरित एवं विकेन्द्रित अक्षय विद्युत												
11. पवन विद्युत	1.60	...	1.60	3.01	...	3.01
12. लघु पन बिजली	0.92	...	0.92	8.00	...	8.00	2.04	...	2.04	2.00	...	2.00
13. जैव विद्युत	3.35	...	3.35	50.00	...	50.00	6.03	...	6.03	53.00	...	53.00
14. सौर विद्युत	620.89	...	620.89	525.00	...	525.00	491.02	...	491.02	366.14	...	366.14
15. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूएसयूएम)	700.00	...	700.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
16. वायोगैस कार्यक्रम	42.72	...	42.72	100.00	...	100.00	51.00	...	51.00	60.00	...	60.00
17. अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (सौर शहर, हरित भवन, राज्यों को सहायता, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुक स्टोव आदि)	0.11	...	0.11	5.00	...	5.00	0.27	...	0.27	0.05	...	0.05
जोड़-ऑफ-ग्रिड/वितरित एवं विकेन्द्रित अक्षय विद्युत अनुसंधान, विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	669.59	...	669.59	688.00	...	688.00	550.36	...	550.36	1184.20	...	1184.20
18. अनुसंधान और विकास	25.43	...	25.43	60.00	...	60.00	15.01	...	15.01	20.00	...	20.00
सहायक कार्यक्रम												
19. अनुभवण/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन	0.07	...	0.07	0.30	...	0.30	0.03	...	0.03	0.30	...	0.30
20. सूचना प्रौद्योगिकी/ई शासन और अन्य पहलें	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	0.55	...	0.55
21. सूचना, शिक्षा और संचार	5.15	...	5.15	10.00	...	10.00	7.21	...	7.21	10.00	...	10.00
22. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-निवेश संवर्धन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को सहायता सहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	24.37	...	24.37	30.00	...	30.00	16.90	...	16.90	22.00	...	22.00
23. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	57.39	...	57.39	70.00	...	70.00	64.00	...	64.00	60.00	...	60.00
जोड़-सहायक कार्यक्रम	87.08	...	87.08	111.30	...	111.30	88.69	...	88.69	92.30	...	92.30
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	4403.81	...	4403.81	5131.45	...	5131.45	3743.70	...	3743.70	5646.50	...	5646.50
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	17.00	...	17.00	23.00	...	23.00	1.50	...	1.50
25. राष्ट्रीय वायो ऊर्जा संस्थान	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00	0.70	...	0.70	1.50	...	1.50
26. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	18.00	...	18.00	15.00	...	15.00	13.00	...	13.00	5.00	...	5.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	19.00	...	19.00	35.00	...	35.00	36.70	...	36.70	8.00	...	8.00
अन्य												
27. अधिभुगतान की वसूली की कटौती	-253.18	...	-253.18
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-234.18	...	-234.18	35.00	...	35.00	36.70	...	36.70	8.00	...	8.00
कुल जोड़	4207.23	17.39	4224.62	5209.83	45.00	5254.83	3820.74	71.00	3891.74	5701.00	52.00	5753.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	4169.63	...	4169.63	4653.45	...	4653.45	3405.40	...	3405.40	5089.50	...	5089.50
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	37.60	...	37.60	43.38	...	43.38	40.34	...	40.34	46.50	...	46.50
3. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	...	17.39	17.39	...	45.00	45.00	...	71.00	71.00	...	52.00	52.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	4207.23	17.39	4224.62	4696.83	45.00	4741.83	3445.74	71.00	3516.74	5136.00	52.00	5188.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	513.00	...	513.00	375.00	...	375.00	565.00	...	565.00
जोड़-अन्य	513.00	...	513.00	375.00	...	375.00	565.00	...	565.00
कुल जोड़	4207.23	17.39	4224.62	5209.83	45.00	5254.83	3820.74	71.00	3891.74	5701.00	52.00	5753.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	...	10119.37	10119.37	...	12053.57	12053.57	...	12084.08	12084.08	...	13351.85	13351.85
2. भारतीय सौर ऊर्जा निगम	...	339.78	339.78	...	300.24	300.24	...	382.24	382.24	...	374.89	374.89
जोड़	...	10459.15	10459.15	...	12353.81	12353.81	...	12466.32	12466.32	...	13726.74	13726.74

- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।
- कार्यालय भवन:** यह प्रावधान कार्यालय भवन : अटल अक्षय ऊर्जा भवन के प्रमुख निर्माण कार्य के लिए है।
- पवन विद्युत:** जीवीआई योजना वर्ष 2020-21 में 4 जीडबल्यू पवन विद्युत क्षमता चालू की जाएगी।
- लघु पन बिजली:** वर्ष 2020-21 में 0.1 जीडबल्यू पन बिजली क्षमता चालू की जाएगी।
- जैव विद्युत:** सीएफए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2020-21 में जैव-विद्युत की 0.3जीडबल्यू क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।
- सौर विद्युत:** सीएफए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2020-21 में सौर विद्युत की 7500 जीडबल्यू क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूसयूएम):** किसानों को जल और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउण्टेड ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों, कृषि कार्यों हेतु स्टैंड अलोन सौर जल पंपों की स्थापना तथा वर्तमान के ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण करने की एक नई योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) तैयार की है। राज्य सरकार/ विद्युत वितरण कंपनियों को एक ऐसी प्रणाली तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके माध्यम से सरप्लस सौर विद्युत को राज्यों द्वारा निर्धारित दर पर वितरण कंपनियों द्वारा खरीद की जा सकेगी।
- हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** हरित ऊर्जा कॉरिडोर :- सीएफए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2020-21 में इंद्रा-स्टेट हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत संचयी रूप से 6000 सीकेएम पारेषण अवसंरचना क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।
- बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) घटक:** 2 परियोजनाओं का संवर्धन, नामतः
(i) ग्रामीण उत्पादक उपयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि पर यूनडीपी/जीईएफ परियोजना : यूनडीएफ में दूरस्थ गावों में गरीबों की आजीविका में वृद्धि लाने हेतु ऊर्जा की उपलब्धता से संबन्धित परियोजना कार्यक्रम।
(ii) आईजीईएन: - भारत-जर्मन द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा उपलब्धता : ग्रामीण ऊर्जा उद्यमों के लिए प्रगति करने और ऊर्जा एवं ऊर्जा उत्पादों/सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल माहौल और बाजार की बाधाओं को दूर करने से संबन्धित परियोजना कार्यक्रम।
- ब्याज का भुगतान और बॉण्ड्स को जारी करने पर होने वाले व्यय:** ब्याज का भुगतान और जारी करने संबंधी व्यय:- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इरेडा द्वारा जारी किए गए/जारी किए जाने वाले बॉण्डों के लिए ब्याज का भुगतान
- पवन विद्युत:** ऊर्जा सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल माहौल
- लघु पन बिजली:** ऊर्जा उत्पादों/सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल माहौल
- जैव विद्युत:** सीएफए के प्रावधान का उपयोग वर्ष 2020-21 में ऑफ-ग्रिड/वितरित जैवविद्युत की 30 मेगावॉट समतुल्य क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।

14. **सौर विद्युत:** ऑफग्रीड सौर पीवी कार्यक्रम के चरण 3 का कार्यान्वयन, जिसमें 3 लाख सौर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना, 25 लाख सौर स्टडी लैम्पों के वितरण और 100 मेगावॉट पीक की कुल संचयी क्षमता के सौर पावर पैक की संस्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त अजय योजना चरण 2 के अंतर्गत 3 लाख से अधिक सौर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना की जाएगी। इसके अलावा 20 मेगावॉट समतुल्य क्षमता की संकेंद्रित सौर तापीय (सीएसटी) परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।
15. **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूसयूएम):** किसानों को जल और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउन्टेड ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों, कृषि कार्यों हेतु स्टैंड अलोन सौर जल पंपों की स्थापना तथा वर्तमान के ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण करने की एक नई योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) तैयार की है। राज्य सरकार/ विद्युत वितरण कंपनियों को एक ऐसी प्रणाली तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके माध्यम से सरप्लस सौर विद्युत को राज्यों द्वारा निर्धारित दर पर वितरण कंपनियों द्वारा खरीद की जा सकेगी।
16. **बायोगैस कार्यक्रम:** खाना पकाने के लिए बैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना करने के लिए।
17. **अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (सौर शहर, हरित भवन, राज्यों को सहायता, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुक स्टोव आदि):** अन्य अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग (राज्यों को सहायता, अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोग के प्रदर्शन, कुक-स्टोव आदि सहित सौर शहर, हरित भवन आदि): - राज्यों को ऊर्जा दक्षता के संवर्धन और घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा के संरक्षण और उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त ढांचे का सृजन करने हेतु सहायता प्रदान करना।
18. **अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान और विकास परियोजनाएं निरंतर प्रकृति की होती हैं। वर्ष 2021 तक प्रत्येक वर्ष में विभिन्न अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी।
19. **अनुभवण/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन:** अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मूल्यांकन और अन्य अध्ययन कार्यों का संचालन करने के लिए।
21. **सूचना, शिक्षा और संचार:** जनता के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए अक्षय ऊर्जा अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, जनता एवं शिक्षण संस्थाओं को सूचना का प्रसार।
22. **अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-निवेश संवर्धन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को सहायता सहित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग:** निवेश संवर्धन एवं अंतरराष्ट्रीय सौर गठ-बंधन भवन और सचिवालय स्थापना को सहायता सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
23. **मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण:** सूर्यमित्र, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा विज्ञान फेलोशिप, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, पुस्तकालय सुविधाओं, पाठ्यक्रम मॉड्यूलों आदि के विकास सहित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता।
25. **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान:** क्षमता एवं अवसंरचना विकास के लिए स्वायत्त संस्थान को सहायता।
26. **राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान:** क्षमता एवं अवसंरचना विकास के लिए स्वायत्त संस्थान को सहायता।
27. **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान:** क्षमता एवं अवसंरचना विकास के लिए स्वायत्त संस्थान को सहायता।